न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :81/2020

रेखा कुमारी पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि विनोद कुमार जाति मीणा निवासी बोरदा हाल निवास सनिजा बावडी तहसील दीगोद जिला कोटा

.......वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 07.09.2020 निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा की खाता संख्या नया 24 पुराना 27 खसरा नं0 660 रकबा 1.84 है0 एवं खाता संख्या 29 नया 28 पुराना खसरा नं0 284 रकबा रकबा 1.81 है0 आराजी शामलाती खाते में दर्ज हो रही है राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम सन्जू बाई पुत्री कृष्ण गोपाल जाति मीणा दर्ज हो रहा है। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम रेखा कुमारी पत्नि विनोद कुमार दर्ज हो रहा है। प्रार्थीया का नाम रेखा कुमारी ही है। प्रार्थीया जमाबंदी में दर्ज नाम संजू बाई उर्फ रेखा कुमारी कराना चाहती है। अतः ग्राम बोरदा की खाता संख्या नया 24 पुराना 27 खसरा नं0 660 रकबा 1.84 है0 एवं खाता संख्या 29 नया 28 पुराना खसरा नं0 284 रकबा रकबा 1.81 है0 में प्रार्थिया का नाम संजू बाई उर्फ रेखा कुमारी पुत्री कृष्ण गोपाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2021/2 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम बोरदा की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 24 और 29 में प्रार्थीया का नाम जर्ये नामा0 सं0 611 दिनांक 13.02.2020 विरासतन दर्ज किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और भामाशाह कार्ड इत्यादि का अवलोकन करने के पश्चात स्पष्ट है कि प्रार्थीया का नाम रेखा कुमारी है। संजू बाई पुत्री कृष्णगोपाल और रेखाकुमारी पुत्री कृष्णगोपाल दोनो एक ही व्यक्ति

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

के नाम है। बोरदा की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 24 और 29 में संजूबाई पुत्री कृष्णगोपाल के स्थान पर संजूबाई उर्फ रेखा कुमारी दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो आधार पर ग्राम बोरदा की खाता संख्या नया 24 पुराना 27 खसरा नं0 660 रकबा 1.84 है0 एवं खाता संख्या 29 नया 28 पुराना खसरा नं0 284 रकबा रकबा 1.81 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम संजू बाई पुत्री कृष्णगोपाल के स्थान पर संजूबाई उर्फ रेखा कुमारी पुत्री कृष्णगोपाल जाति मीणा निवासी बोरदा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner